"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2014—आश्विन 17, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-01/2014/18. -- छत्तीसगढ़ नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर के पद के लिये दिनांक 01 सितम्बर 2014 को किए गए आरक्षण की सूची उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (3) के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	आरक्षण का वर्ग (2)	नगर पालिक निगम का नाम (3)
1.	अनुसूचित जाति	रायगढ़
2.	अनुसूचित जनजाति	अंबिकापुर
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	बीरगांव (महिला), जगदलपुर, बिलासपुर
4.	महिला वर्ग	दुर्ग, धमतरी, कोरबा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 01-01/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-01/2014/18, दिनांक 09-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 9th October 2014

NOTIFICATION

No. F 01-01/2014/18. Under the provisions of sub-rule (3) of Rule 9 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Office of Mayor & President) Rules, 1999 the list of reserved post of Mayor of Municipal Corporation made on 01st September 2014 is hereby being notified as follows :-

S. No. (1)	Category of Reservation (2)	Name of Municipal Corporation (3)
1.	Scheduled Caste	Raigarh
2.	Scheduled Tribe	Ambikapur
3.	Other Backward Classes	Beergaon (Female), Jagdalpur, Bilaspur.
4.	Female	Durg, Dhamtari, Korba

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-01/2014/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत प्रदेश के नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पद के लिये दिनांक 01 सितम्बर 2014 को किए गए आरक्षण की सूची उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (3) के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	आरक्षण का वर्ग (2)	नगरपालिका का नाम (3)
1.	अनुसूचित जाति	भाटापारा, डोंगरगढ़, जांजगीर-नैला (महिला), अकलतरा, बामबाहरा, रतनपुर (महिला)
2.	अनुसूचित जनजाति	जशपुरनगर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर (महिला), बलरामपुर (महिला)

(1)	(2)	(3)
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	बलौदाबाजार, महासमुंद, बेमेतरा, दल्लीराजहरा, कवर्धा (महिला), सूरजपुर, बैकुण्ठपुर, गरियाबंद (महिला), सुकमा (महिला), तिफरा, कटघोरा (महिला)
4.	महिला वर्ग	जामुल, खैरागढ़, किरन्दुल, मुंगेली, आरंग, सरायपाली, अहिवारा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 01-01/2014/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-01/2014/18, दिनांक 09-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 9th October 2014

NOTIFICATION

No. F 01-01/2014/18 -- Under the provisions of sub-rule (3) of Rule 9 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Office of Mayor & President) Rules, 1999 the list of reserved post of President of Municipal Council made on 01st September 2014 is hereby being notified as follows :-

S. No. (1)	Category of Reservation (2)	Name of Municipal Council (3)
1.	Scheduled Caste	Bhatapara, Dongergarh, Janjgeer-Naila (Female), Akaltara, Bagbahara, Ratanpur (Female)
2.	Scheduled Tribe	Jashpurnagar, Narayanpur, Dantewada, Bijapur (Female), Balrampur (Female)
3.	Other Backward Classes	Baloudabazar, Mahasmund, Bemetara, Dallirajhara, Kawardha (Female), Soorajpur, Baikunthpur, Gariyaband (Female), Sukma (Female), Tifra, Katghora (Female)

(1)	(2)	(3)
4.	Female	Jamul, Khairagarh, Kirandul, Mungeli, Aarang, Saraypali, Ahiwara.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-01/2014/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत प्रदेश के नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पद के लिये दिनांक 01 सितम्बर 2014 को किए गए आरक्षण की सूची उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (3) के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	आरक्षण का वर्ग (2)	नगर पंचायत का नाम (3)
1.	अनुसूचित जाति	अभनपुर, लवन, भटगांव (बलौदाबाजार), नवागढ़ (बेमेतरा), बेरला (महिला), मारो (महिला), पण्डरिया, बिल्हा, सकरी (महिला), पथरिया (महिला), नयाबाराद्वार (महिला), बलौदा, अड़भार, सारागांव.
2.	अनुसूचित जनजाति	डौण्डी, चिखलाकसा, बस्तर, विश्रामपुरी, फरसगांव (महिला), अंतागढ़, नरहरपुर, बारसूर, दोरनापाल (महिला), कोण्टा (महिला), भैरमगढ़, भोपालपट्नम, पत्थलगांव (महिला), कोतबा, बगीचा (महिला), सीतापुर (महिला), प्रेमनगर (महिला), वाड्रफनगर, राजपुर, कुसमी.
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	बिलाईगढ़, टुण्डरा (महिला), फिंगेश्वर, नगरी, भखारा, आमदी (महिला), पिथौरा, साजा, थानखम्हरिया, गण्डई (महिला), छुईखदान, अंबागढ़-चौकी, डोंगरगांव (महिला), छुरिया (महिला), पाण्डातराई, चारामा (महिला), पेण्ड्रा (महिला), लोरमी, छुरीकला, डभरा (महिला), चंद्रपुर, राहौद, लैलूंगा, कुनकुरी, विश्रामपुर, जरही (महिला), झगराखण्ड, नई लेदरी.
4.	महिला वर्ग	खरोरा, कुंरा, पलारी, तुमगांव, छुरा, धमधा, उतई, बोदरी, सिरगिट्टी, सरगांव, पाली, खरौद, घरघोड़ा, बरमकेला, किरोड़ीमलनगर, प्रतापपुर, खोंगापानी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 01-01/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 01-01/2014/18, दिनांक 09-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 9th October 2014

NOTIFICATION

No. F 01-01/2014/18 — Under the provisions of sub-rule (3) of Rule 9 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Office of Mayor & President) Rules, 1999 the list of reserved post of President of Nagar Panchayat made on 01st September 2014 is hereby being notified as follows :-

S. No. (1)	Category of Reservation (2)	Name of Nagar Panchayat (3)
1.	Scheduled Caste	Abhanpur, Lawan, Bhatgaon (Baloudabazar), Nawagarh (Bemetara), Berla (Female), Maro (Female), Pandariya, Bilha, Sakri (Female), Pathariya (Female), Nayabaradwar (Female), Balouda, Adbhar, Saragaon.
2.	Scheduled Tribe	Doundi, Chikhlakasa, Baster, Vishrampuri, Pharasgaon (Female), Antagarh, Narharpur, Barsur, Dornapal (Female), Konta (Female), Bhairamgarh, Bhopalpattnam, Patthalgaon (Female), Kotba, Bagicha (Female), Sitapur (Female), Premnagar (Female), Wadrafnagar, Rajpur, Kusmi.
3.	Other Backward Classes	Bilaigarh, Tundra (Female), Fingeshwar, Nagari, Bhakhara, Amdi (Female), Pithoura, Saja, Thankhamhariya, Gandai (Female), Chhuikhadan, Ambagarh-Chouki, Dongargaon (Female), Chhuriya (Female), Pandatarai, Charama (Female), Pendra (Female), Lormi, Chhurikala, Dhabhara (Female), Chandrapur, Rahoud, Lailunga, Kunkuri, Vishrampur, Jarhi (Female), Jhagrakhand, Nai-Ledri,

(1)	(2)	(3)
4.	Female	Kharora, Kunra, Palari, Tumgaon, Chhura, Dhamdha, Utai, Bodri, Sirgitti, Sargaon, Pali, Kharod. Gharghoda, Baramkela, Kirodimalnagar, Pratappur, Khongapani.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.